



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-02042026-271538
CG-KA-E-02042026-271538

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1647]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948

No. 1647]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (ओपनलाइन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

का.आ. 1712(अ).— रेल अधिनियम, 1989 (24 ऑफ 1989) की धारा 20एफ के खंड (6) और धारा 2 के खंड 7ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिकारी को 'सक्षम प्राधिकारी' तथा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (5) में उल्लिखित अधिकारी को 'मध्यस्थ' के रूप में इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करती है, जो नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले से संबंधित स्तंभ (2) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजनाओं के लिए जन हित में भूमि अधिग्रहण, अनुरक्षण, निष्पादन, प्रबंधन और परिचालित की जा रही है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	सक्षम प्राधिकारी	मध्यस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	"संपिगेरोड-अरसीकेरे सेक्शन में प्रस्तावित कि.मी. 138/200-300 पर विभिन्न ऊँचाइयों का अधोगामी पुल	बंडीहल्लि (ग्राम) तिपटूर (तालुक)	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी तुमकुर, रायदुर्गा रेलवे -	क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलोर.

	निर्माण करडि-तिपटूर स्टेशनों के बीच समपार संख्या 82 के स्थान पर”.	तुमकूर (जिला)	परियोजना, तुमकुर.	
--	---	---------------	----------------------	--

[फा. सं. डब्ल्यू. 277/ भूमि /आरयूबी/टीटीआर]

छन्नो मल गुप्ता, प्रधान मुख्य इंजीनियर

MINISTRY OF RAILWAYS
[South Western Railway (Open Line)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2026

S.O. 1712(E).—In exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F and clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (4) of the table below as ‘Competent Authority’ and the Officers mentioned in column (5) of the table below as ‘Arbitrator’ to perform the functions as such authority under the said act with effect from date of publication of this notification in the official Gazette in respect of Special Railway Projects mentioned in column (2) relating to district mentioned in column (3) of the table below for land acquisition required for the public purpose of Execution, Maintenance, Management and Operation of such Special Railway Project.

Sl.No.	Name of the Project	District	Competent Authority	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	“Sampige Road – Arsikere Section: Proposed Construction of Differential Height RUB at Km.138/200-300 in lieu of LCNo. 82 between Karadi-Tiptur Stations”.	Bandihalli (village) Tiptur (Taluk) Tumakuru (Dist).	Special land acquisition officer, Tumkur - Rayadurga Railway Project, Tumkur.	Regional, Commissioner, Bangalore.

[F. No. W.277/Land/RUB/TTR]

CHHANNO MAL GUPTA, Principal Chief Engineer